

8/11/18  
10/12/18

# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

## (जिला सामान्य शाखा)

### आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं०-IV-22/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-18 पर दिनांक 05.12.2018 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो० हारुण रशीद, पे०-स्व०महाफीज करीम, साकिन-मुश्कीपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया के मृत्योपरान्त उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 08/1967 (गोगरी थाना) एवं 04/1982 (गोगरी थाना) को रद्द किया जाता है। आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदक मो० अशफाक अंजूम, साकिन-मुश्कीपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-08/67 पर धारित शस्त्र सं०-C/4-1313 को डीलक्स आर्म्स कॉ०, मुंगेर एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-4/1982 पर धारित शस्त्र सं०-A/B 83 2771 को डीलक्स आर्म्स, शिवाला रोड़, खगड़िया में जमा करते हुए पावती रसीद की छायाप्रति एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/—

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।

- ज्ञापक IV-22/2018/1189/जी०, दिनांक 7.12.18
- प्रतिलिपि : मो० अशफाक अंजूम, साकिन-मुश्कीपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : डीलक्स आर्म्स, शिवाला रोड़, खगड़िया/डीलक्स आर्म्स कॉ०, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना/गोगरी थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

mayu  
06/12/18

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।